FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

- **रघुनाथ पुत्र देवा, जाति जाट, उम्र लगभग 61 साल निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अराई जिला अजमेर राज. ।** **–प्रार्थी**

बनाम

- **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर जयपुर राजस्थान अन्य।** **–अप्रार्थीगण।**

किस्म मुकदमा– धारा 251(क) राज.का. अधि. 1955

नंबर 14/2024

ऑनलाइन नंबर **2024** / 27....

वकील प्रार्थी :– योगेश शर्मा **वकील अप्रार्थीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05/4/24	**यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 7/5/2024 को पेश हो।** **उपखण्ड अधिकारी अरांई**	
07/5/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण के नोटिस तामील/अदम तामील अप्राप्त वास्ते तलबी ~~तलबाना~~ पत्रावली 14/6/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	
14/6/24	**पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 05/7/24 को पेश हो।**	बलवीर
05/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणों के रजि. डाक सम्मन मय रसीद पेश किये जो अ.प्र. नं. 1 तहसीलदार अराई को जवाब बाबत तलबी जारी की जावे पत्रावली दिनांक 24/7/2024 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20/6/15 पत्रावली पेश हुई [illegible] कारण उप.। वास्ते वादी बहस हेतु पत्रावली दिनांक 6/8/15 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी आरांई	
6/8/15 - पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वकील वादी की बहस सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। WD	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2024 उनवान रधुनाथ वगै0 बनाम सरकार

1. रघुनाथ पुत्र देवा, जाति जाट, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी ग्राम कालानाडा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

2. गोपी पुत्र देवा, जाति जाट, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी ग्राम कालानाडा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

3. सोनी पुत्र देवा, जाति जाट, उम्र लगभग 83 वर्ष, निवासी ग्राम कालानाडा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

अप्रार्थी

1. छोटी पत्नि हनुमान, जाति जाट, निवासी ग्राम कालानाडा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

2. जगदीश पुत्र हनुमान, जाति जाट, निवासी ग्राम कालानाडा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

3. बलवीर पुत्र नंदा, जाति जाट, निवासी ग्राम कालानाडा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

4. हीरा पत्नि स्व. नंदा, जाति जाट, निवासी ग्राम कालानाडा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

—प्रफोर्मा अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 6/8/25

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री योगेश शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम कालानाडा पटवार क्षेत्र कालानाडा भू0अ0नि0 क्षेत्र भोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर में स्थित है जिसके खसरा संख्या 203 रकबा 0.1699 हैक्टैयर किस्म चाही—1 स्थित है राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा निहित है तथा इसी के अनुसार वे मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि के आगे पश्चिम दिशा में सरकारी कृषि भूमि खसरा संख्या 201 क्षेत्रफल 0.3802 है0 किस्म बंजर 2 स्थित है जो राजस्व रिकार्ड के खाता संख्या पुराना 1 नया 1 में अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 201 के बाद रास्ता है । जो प्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमि पर आने जाने का एकमात्र रास्ता है । प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु 15 फीट रास्ते की आवश्यकता है । जिसके लिये प्रार्थीगण निर्धारित डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि देने के लिये तैयार एवं तत्पर है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग, सिचांई तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 1

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि खसरा संख्या 201 में से 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाने के आदेश फरमाने की कृपा करने का निवेदन किया।

2. अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 26.3.2025 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 10.12.2024 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार अराई ने अंकित किया कि ग्राम कालानाडा के खसरा संख्या 203 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 201 में से नजरी नक्शा के अनुसार कुल 0.01275 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जायेगी जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार 9310/– रूपये मूल्य जिसकी दुगुना राशि 18620/– अटारह हजार छह सो बीस रूपये होगी ।

3. वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली अप्रार्थी की भूमि के रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने में सहमत, तैयार, तत्पर है ।

हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें हैः–

–: आदेश :–

1. प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी की भूमि में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये रास्ते की अतिआवश्कता है, प्रार्थी की ग्राम कालानाडा के खसरा संख्या 203 में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 203 में आवागमन हेतु ख0नं0 201 में से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है। तहसीलदार अराई की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटम है जो खसरा नं0 201 में से गुजरता है । प्रार्थी ने अप्रार्थी की रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की एवज में रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने हेतु सहमति जाहिर की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि ग्राम कटसूरा के खसरा संख्या 201 में से रास्ते हेतु रिपोर्ट क्रमांक 8393 दिनांक 10.12.2024 के अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि तक पहुचने हेतु 15 फीट चोडा रास्ता क्षेत्रफल 0.01275 हैक्टैयर भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर 730000 रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार मूल्य 9310/– जिसकी दुगुना राशि 18620/– अठारह हजार छह सो बीस रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.01275 हैक्टेयर भूमि (चोडाई 15 फीट एवं लंबाई 92 फीट है) का मुआवजा राशि 18620/– अठारह हजार छह सो बीस रूपये तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.01275 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि जमा कराने की कार्यवाही करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 6/8/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner